



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

By Speed Post

No . AAI/KOL/HORT/CUT FLOWER/2023-24/242

Dt. 08.05.2023

सेवा में / To,
मेसर्स अक्षा डेवलपमेंट रिसर्च एंड कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड,
M/s Aksha Development Research
& Consulting Pvt. Ltd.,
54/10/1, काशीनाथ दत्ता पथ, कोलकाता 700036
54/10/1, Kashinath Dutta Road,
Kolkata 700036

विषय :- कार्य का नाम : 2023-24 के दौरान एनएससीबीआई हवाई अड्डे, कोलकाता में फूलों की व्यवस्था करना और इनडोर/आउटडोर गमले वाले पौधों को प्रदर्शित करना, वीआईपी गार्डन और नए फायर स्टेशन में लॉन का रखरखाव और ग्रीन वॉल का रखरखाव करना।

Sub :-Name of Work : Providing flower arrangement and displaying of indoor/outdoor potted plants, maintenance of lawn in VIP Garden and new Fire Station and maintenance of Green Wall at NSCBI Airport, Kolkata during 2023-24.

संदर्भ / Ref. : आपकी ई-निविदा आईडी 2023_एआई_147624 दिनांक: 02.03.2023 / Your E- tender ID 2023_AAI_147624 dated : 02.03.2023

महोदय / Dear Sir (s),

1. उपरोक्त वर्णित कार्य के लिए आपकी ई-निविदा कुल रु. 26,82,536.00 (रुपये छब्बीस लाख बयासी हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) की नियत मद पर अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकार की जाती है जो कि निविदा की प्राक्कलित राशि 28,27,116.00 (रुपए अट्ठाईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ सोलह मात्र) से 5.11% कम है।
Your E-tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the item rates quoted by you totalling to Rs. 26,82,536.00 (Rupees Twenty Six Lakhs Eighty Two Thousand Five Hundred and Thirty Six only) which is 5.11 % below the estimated cost put to tender of Rs. 28,27,116.00 (Rupees Twenty Eight Lakhs Twenty Seven Thousand One Hundred and Sixteen only).
2. उप महाप्रबंधक इंजि(सिविल)भा वि प्रा. ने.सु.चं.बो. अं. हवाईअड्डा कोलकाता कार्य के प्रभारी अभियंता * होंगे। आपसे अनुरोध है कि अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे पूरा करने के लिए 18.05.2023 इंजि(सिविल- , भा वि प्रा. ने.सु.चं.बो. अं. हवाईअड्डा कोलकाता के कार्यालय में उपस्थित हों। अनुबंध अनुबंध 100.00 रुपये (एक सौ रुपये मात्र) के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

जाएगा और स्टॉप पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।

Dy. General Manager (E-C), AAI, NSCBI Airport, Kolkata shall be the Engineer-in-charge of the work. You are requested to attend the office of DGM (E-C), AAI, NSCBI Airport, Kolkata by 18.05.2023 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs.100.00 (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

- आपकी निविदा के साथ प्राप्त 56,542.00 रुपये (रुपये छप्पन हजार पांच सौ बयालीस मात्र) की बयाना राशि को खंड संख्या 1 (ए) पृष्ठ संख्या के अनुसार सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में माना और परिवर्तित किया जाएगा; अनुबंध दस्तावेज़ के 17। कृपया इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा के लिए 2,11,712.00 रुपये (रुपये दो लाख ग्यारह हजार सात सौ बारह मात्र) जमा करें, ऐसा न करने पर खंड संख्या की शर्त के अनुसार कटौती की जाएगी। 1 (ए) अनुबंध दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 17 पर।

The earnest money amount of Rs 56,542.00 (Rupees Fifty-Six Thousand Five Hundred and Forty Two only) received along with your tender will be treated and converted as part of security deposit as per Clause No. 1 (A) Page no.; 17 of contract document. Please deposit Rs 2,11,712.00 (Rupees Two Lakh Eleven Thousand Seven Hundred and Twelve only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter failing which, the same will be deducted as per condition of Clause no. 1 (A) at page no 17 of contract document.

- आपसे अनुरोध है कि ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिकों (रोजगार का विनियमन और स्थिति की स्थिति) के प्रावधानों का पालन करें। सेवा) अधिनियम 1996, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 जैसा निविदा के जीसीसी के पृष्ठ संख्या 50 के खंड 19 में विनिर्दिष्ट है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के नियम।

You are requested to comply with the provision of Contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and contract labour (Regulation and Abolition) Central rules 1971 Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause 19 on page no 50 of GCC of tender and rules of Central and State Government.

- आपको एजीएम (ई-सी) से तुरंत संपर्क करने का भी निर्देश दिया जाता है जो आपको साइट सौंपने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact AGM (E-C) immediately who will arrange to hand over the site to you.

- कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 12 (बारह) महीने होगा और इसकी गणना इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से की जाएगी।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 12 (Twelve) months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

- अनुबंध के संबंध में कोई और पत्राचार सामान्य रूप से होना चाहिए प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाए।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.

8. कृपया रसीद की पावती दें और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करने के बाद संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति अधोहस्ताक्षरी को लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

Enclo : Form V

आपका विश्वासी, / Yours faithfully,

(के. गंगोपाध्याय) / (K. Gangopadhyay)

उप महाप्रबंधक (इंजि- सिविल) / ई-आई-सी /

DGM (E-C) / E-I-C

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

एनएससीबीआई के लिए और उनकी ओर से

**For and on behalf of the Chairman,
Airports Authority of India,
NSCBI Airport, Kolkata - 52**

प्रतिलिपि / Copy to :

1. श्रम आयुक्त (मध्य), द्वितीय एम.एस. बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, निजाम पैलेस, 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700020 / Labour Commissioner (Central), 2nd M.S. Building, 5th Floor, Nizam Palace, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700020
2. मुख्य आयकर आयुक्त (कोलकाता-I), पी - 7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता - 700069 / Chief Commissioner of Income Tax (Kolkata-I), P - 7, Chowringhee Square, Kolkata - 700069
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्यनिधि भवन, डीके ब्लॉक, सेक्टर- II, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700091 / Regional Provident Fund Commissioner, Bhavishyanidhi Bhawan, DK Block, Sector - II, Salt Lake City, Kolkata - 700091